



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आपराधिक साजिश में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-2040/2010 धारा-302/34, 201/34, 120बी भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह निवासी ग्राम टेढा, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को धारा-120बी भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी अशोक कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० मो० शरीफ
खान



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० प्रेम कुमार